संख्या- 1/11/98- का-प्रसको - 2001

प्रेषक,

डी0 के0 वर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवामें,

निदेशक,
दीन दयाल उपाध्याय ग्राम्य विकास
प्रशिक्षण संस्थान, बख्शी का तालाब,
लखनऊ ।

कार्मिक विभाग-प्रशिक्षण समन्वय कोष्ठक: लखनऊ: दिनाँक: जनवरी 22 , 2001 ।

विषय:- प्रशिक्षण से संबंधित बैठकों/ अन्य कार्यकलापों हेतु नोडल संस्थान नामित किया जाना ।

महोदय,

उत्तर प्रदेश राज्य की प्रशिक्षण नीति के कार्यान्वयन के उद्देश्य से आयोजित की जाने वाली विभिन्न बैठकों/ वार्षिक बैठक हेतु, उ0प्र0 प्रशासन अकादमी, नैनीताल को नोडल संस्थान नामित किया गया था । अब उक्त अकादमी के उत्तरांचल राज्य के क्षेत्रान्तर्गत आ जाने के कारण, शासन द्वारा लिये गये निम्न निर्णयों से आपको अवगत कराने का मुझे निदेश हुआ है:-

1. प्रशिक्षण के संबंध में आयोजित की जाने वाली वार्षिक/ अन्य बैठकों हेतु दीन दयाल उपाध्याय ग्राम्य विकास प्रशिक्षण संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ को नोडल संस्थान नामित किया जाता है ।

2. नोडल संस्थान के रूप में उ0प्र0 प्रशासन अकादमी, नैनीताल द्वारा सम्पादित किये जाने वाले समस्त कार्यों का निर्वहन अब दीन दयाल उपाध्याय ग्राम्य विकास प्रशिक्षण संस्थान, बख्शी का तालाब लखनऊ द्वारा ..... किया जायेगा ।

3. विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, प्रशिक्षण प्रबन्धकों की नियुक्ति आदि से संबंधित समस्त सूचनायें, समस्त विभागों द्वारा अब नव नामित नोडल संस्थान को उपलब्ध कराई जाँय ।

भवदीय,

(डी0 के0 वर्मा)
विशेष सचिव ।

संख्या-1/11/98(1)-का-प्रसको-2001, तद्दिनाँक ।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
3. समस्त निदेशक/प्रधानाचार्य, प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 ।
4. निदेशक, प्रशासन अकादमी, उत्तरांचल, नैनीताल ।

आज्ञा से,

(डी0 के0 वर्मा)
विशेष सचिव ।